



न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश/एम०पी०एम०एल०ए० कोर्ट नं०-3, आजमगढ़

गैंगस्टर वाद सं०-73/2021

राज्य बनाम मुख्तार अंसारी आदि

अपराध सं०-160/2020

धारा-3(1)उ०प्र० गिरोह बन्द निवारण अधि०

थाना-तरवां, आजमगढ़

दिनांक-15.04.2026

बादहू

पत्रावली पुनः प्रस्तुत हुई। राज्य की ओर से विशेष अभियोजक श्री राधेश्याम मालवीय की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.04.2026 इस आश का दिया गया है कि मामले का सह अभियुक्त श्यामबाबू पासी एक अन्य मुकदमे में बुलन्दशहर जनपद कारागार में निरुद्ध है। मामले में दिनांक 20.04.2026 को वी०सी० से अभियुक्त श्यामबाबू पासी का बयान अन्तर्गत धारा-313 द०प्र०सं० अंकित कराया जाना सुनिश्चित कराने हेतु जेल से अभियुक्त श्यामबाबू पास को जोड़ा जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। अभियुक्त श्यामबाबू पासी एक दुर्दांत अपराधी है जिसे बुलन्दशहर से व्यक्तिगत रूप से न्यायालय बुलाया जाना सुरक्षा की दृष्टि से काफ मुश्किल है। यह याचना की गयी है कि दिनांक 20.04.2026 को अभियुक्त का अन्तर्गत धारा-313 द०प्र०सं० मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त श्यामबाबू पासी को वी०सी० द्वारा कनेक्ट कराने हेतु जेल अधीक्षक कारागार बुलन्दशहर को आदेशित किया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूँकि अभियुक्त को जिला कारागार बुलन्दशहर से न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं बताया गया है तथा अभियुक्त इस जनपद से दूर गैर जनपद बुलन्दशहर के कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में सुरक्षा की दृष्टि से अभियुक्त को जनपद कारागार बुलन्दशहर से ही जरिये वी०सी० अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 द०प्र०सं० अंकित कराया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र विशेष अभियोजक दिनांकित 15.04.2026 स्वीकार किया जाता है। जेल अधीक्षक बुलन्दशहर को आदेशित किया जाता है कि इस प्रकरण में निरुद्ध अभियुक्त श्यामबाबू पासी का बयान अन्तर्गत धारा-313 द०प्र०सं० अंकित कराये जाने हेतु दिनांक 20.04.2026 को जरिये वी०सी० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक जिला कारागार बुलन्दशहर को जरिये ई-मेल अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा-313 द०प्र०सं० दिनांक 20.04.2026 को पुनः पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, आजमगढ़